रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या- 189/2026/1937/22-2-2023-17(514)/2021

लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी विसमिल्ला बेगम (बन्दी सं0- 76/20) पत्नी श्री ताज मौहम्मद, नगला बरैठी, थाना-गंजडुण्डवारा, जनपद-कासगंज का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-321/2016 में भा०द०वि० की धारा-498ए, 304बी एवं 4 डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1, कासगंज के आदेश दिनांक 27.10.2020 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 25.12.2022 तक अपरिहार 06 वर्ष, 10 माह, 06 दिन तथा 07 वर्ष, 04 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त महिला बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर महिला बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या- 189/2026/1937(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

3- पुलिस अधीक्षक, कासगंज।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, कासगंज।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।